न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 188/2021 निर्णय दिनांक :–11.03.2022

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

कस्तुरी पुत्री चतुर्भुज पत्नि बेजनाथ जाति धाकड़ निवासी रतनपुरा तह0 देवली हाल निवास देवगांव तह0 केकड़ी जिला अजमेंर राज0

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. राधाकिशन पुत्र सुखदेवा जाति धाकड़ निवासी रतनपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. प्रहलाद पुत्र सुखदेवा जाति धाकड़ निवासी रतनपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. श्योजीलाल पुत्र सुखदेवा जाति धाकड़ निवासी रतनपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. शंकरलाल पुत्र सुखदेवा जाति धाकड़ निवासी रतनपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. कल्याण पुत्र चजुर्भुज जाति धाकड़ निवासी रतनपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0
7. श्रीमान उप पंजीयक महोदय देवली, तह0 देवली जिला टोंक

– अप्रार्थीगण –

उपस्थिति :–
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता प्रार्थीया

श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थी संख्या 5

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने उक्त विषयक वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। आराजीयात वर्णित परिशिष्ठ "अ" व परिशिष्ट "ब" वाके ग्राम रतनपुरा तह0 देवली जिला टोंक में स्थित है। परिशिष्ट अ व ब में वर्णित आराजीयात प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के संयुक्त शामलाती एवं पैतृक है। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :–

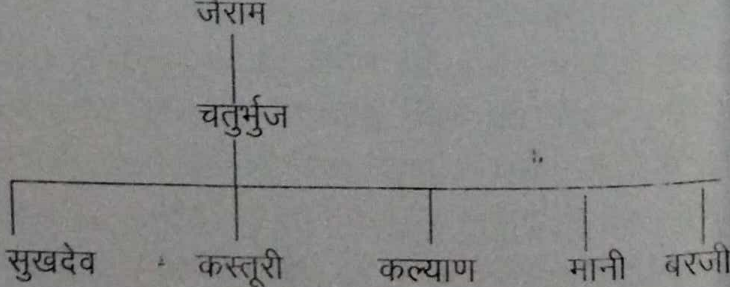

राधाकिशन प्रहलाद श्योजीलाल शंकरलाल

प्रार्थीया के पिता चतुर्भुज के दो पत्नियां थी। पहली पत्नि से सुखदेव व प्रार्थीया कस्तुरी का जन्म हुआ। दूसरी पत्नि से अप्रार्थी कल्याण, मानी व बरजी का जन्म हुआ। सुखदेव की मृत्यु हो चुकी है। सुखदेव की संतान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 क्रमशः राधाकिशन, प्रहलाद, श्योजीलाल, शंकरलाल है। प्रार्थीया के पिता चतुर्भुज ने अपने जीवन काल से ही जुबानी रूप से ग्राम रतनपुरा की जमीन जायदाद का बंटवारा कर दिया था। जिसमें 1/2 हिस्सा पहली पत्नि की संताने प्रार्थीया कस्तूरी व सुखदेव को व 1/2 हिस्सा दूसरी पत्नि की संताने अप्रार्थी संख्या 5 कल्याण व उसकी बहिने मानी, बरजी को दे दिया था। तभी से अपने 1/2 हिस्से पर सुखदेव व प्रार्थीया शामलाती रूप से काबिज काश्त है और काश्त का लाभांश प्राप्त कर रहे है। आराजीयात मुतनाजा प्रार्थीया के दादा जेराम की बनायी व बसायी हुई है। जो वरतक्त प्रथम सेटलमेंट प्रार्थीया के पिता चतुर्भुज के नाम लगी और उनकी मृत्यु के बाद परिशिष्ट "अ" व परिशिष्ठ "ब" में वर्णित आराजीयात का 1/2 हिस्सा सुखदेव व प्रार्थीया के नाम लगने के बजाय अकेले सुखदेव के नाम व 1/2 हिस्सा कल्याण के नाम दर्ज हुआ। परिशिष्ट "अ" व "ब" में वर्णित आराजीयात बंटवारे में सुखदेव का इन्द्राज हुआ और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम लगी। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम आराजीयात का अंकन होने से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की नीयत में बेईमानी आ गयी है और अब उन्होने प्रार्थीया को उसका हिस्सा देने से व आराजीयात को खुर्द बुर्द करने व आराजीयात को बेचने की धमकी दी है। जिससे यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की अन्य पैतृक आराजीयात ग्राम साकरवाड़ा तह0 देवली में थी। जो प्रार्थीया के पिता चतुर्भुज के सभी वारिसान प्रार्थीया कस्तूरी, सुखदेव, कल्याण, बजरी, मानी व माता पारी के नाम विरासत में लगी। जिसके बीसलपुर डूब क्षेत्र में चले जाने से उक्त सभी वारिसान को अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। आराजीयात मुतनाजा वर्णित परिशिष्ट अ में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा एवं परिशिष्ट ब में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा है। जिसकी खातेदारी की घोषणा प्रार्थीया के हक में किया जाना न्यायोचित है। जिसकी प्रार्थीया कानूनन अधिकारिणी है। दिनांक 12.07.2020 को प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को प्रार्थीया के हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने को एवं प्रार्थीया को उसका हक हिस्सा देने को कहा तो अप्रार्थीगण ने मना कर दिया और ऐलानिया धमकी दी कि वो प्रार्थीया को आराजीयात पर आने नही देगे एवं आराजीयात को खुर्द बुर्द कर विक्रय करेगे। अतः अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया गया तो उनके नाम खातेदारी कागजी अंकन होने का बेजा फायदा उठाकर आराजी मुतनाजा को अन्यत्र खुर्द बुर्द व बेचासन कर देगे। प्रार्थीया को लाभांश प्राप्त नही करने देगे। प्रार्थीया को उसके हिस्से व हक से वंचित कर देगे। जिससे प्रार्थीया को अपरीमित व अपूरणीय क्षति कारित होगी। प्रार्थीया के संपति व

संवैधानिक अधिकारो का हनन होगा। विवाद बढ़ेगे व व्यर्थ में प्रार्थीया की बर्बादी होगी। प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीया का बखूबी साबित है। सुविधा का संतुलन एवं अपरीमित क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दौराने वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे स्वंय या जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार, प्रतिनिधि इत्यादि के आराजीयात वर्णित परिशिष्ट "अ" व परिशिष्ठ "ब" वाके ग्राम रतनपुरा तह0 देवली में किसी प्रकार की बेजा मजाहमत नही करें। प्रार्थीया के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न नही करे। प्रार्थीया को लाभांश से वंचित नही करे। आराजीयात को क्षति कारित नही करे। राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज के आधार पर परिशिष्ट अ व ब में वर्णित आराजीयात कि विक्रय पत्र अथवा अन्य किसी प्रकार के हस्तान्तरण पत्र द्वारा किसी को भी किसी भी प्रकार से तहरीर नही करे। अप्रार्थी संख्या 6 को पाबंद किया जावे किवे राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखे। अप्रार्थी संख्या 7 को पाबन्द किया जावे कि वे परिशिष्ठ अ व परिशिष्ठ ब में वर्णित आराजीयात का विक्रय पत्र या किसी भी प्रकार का हस्तान्तरण पत्र तस्दीक न करें।

परिशिष्ठ "अ"

आराजी खसरा नम्बर 605 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 606 रकबा 4.64 है0, खसरा नम्बर 610 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 618 रकबा 0.35 है0 कुल किता 4 रकबा 6.11 है0 वाके ग्राम रतनपुरा तह0 देवली जिला टोंक।

परिशिष्ठ "ब"

आराजी खसरा नम्बर 615 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 619 रकबा 0.44 है0 कुल किता 2 रकबा 0.45 बीघा वाके ग्राम रतनपुरा तह0 देवली जिला टोंक।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण धाकड़ ने वकालतनामा पेश किया व अप्रार्थीगण संख्या 5 की ओर से यू. टी ली।

अप्रार्थीगण संख्या 5 असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण संख्या 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण धाकड़ ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो इस प्रकार है:– प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 में वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करना स्वीकार है शेष गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 जिस प्रकार से लिखा गया है। गलत है, स्वीकार नही है। उक्त चरण में वर्णित परिशिष्ट अ में वर्णित भूमि प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 एवं परिशिष्ट ब में वर्णित भूमि प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 एवं बरदी, मनोहर, रामप्यारी व प्रतिपक्षी संख्या 5 की पत्नि रामकन्या की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है। गलत है, स्वीकार नहीं है। बल्कि उक्त भूमि प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 के पिता स्व0 श्री सुखदेव पुत्र चतुर्भुज ने अपने जीवनकाल मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक के समक्ष वाद बाबत इस्तकरारहक व तकासमा आराजीयात दिनांक 11.08.1971 को प्रस्तुत कर

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पारित डिक्री दिनांक 27.02.1978 द्वारा जरिये नामांतकरण संख्या 217 दिनांक 28.03.1979 को कब्जे अनुसार खातेदारी प्राप्त की थी। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है। गलत है, स्वीकार नही है। उक्त भूमि माननीय न्यायालय द्वारा कब्जे काश्त अनुसार प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 के दादा चतुर्भुज के जीवनकाल मे ही प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 के पिता पिता सुखदेव की खातेदारी में दर्ज हुई है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है। गलत है, स्वीकार नही है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया के मन मे बेईमानी आ जाने के कारण प्रार्थीया का कब्जा काश्त नही होने के बावजूद भी लगभग 42 वर्ष बीत जाने के पश्चात प्रार्थीया ने प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 को अनावश्यक दबाव व हेरान परेशान करने के उद्देश्य से मनगढत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7 जिस प्रकार से लिखा गया है। गलत है, स्वीकार नही है। उक्त भूमि प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 के पिता सुखदेव को उनके पिता चतुर्भुज के जीवनकाल में ही कब्जे काश्त अनुसार एवं न्यायालय आदेशानुसार खातेदारी प्राप्त हुई है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 8 जिस प्रकार से लिखा गया है। गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीया का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक, हिस्सा व अधिकार नही है क्योंकि प्रार्थीया के पिता चतुर्भुज ने अपने जीवन काल में ही उक्त भूमि प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 के पिता सुखदेव को अपनी सहमति से खातेदारी प्रदान कर दी थी। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 9 जिस प्रकार से लिखा गया है। गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 10 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 11 गलत है, स्वीकार नही है। विशेष आपत्तियां:–प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ब में वर्णित भूमि के खातेदारी बरदी, मनोहर, रामप्यारी व रामकन्या को खातेदार होने के बावजूद भी पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त भूमि प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 के पिता सुखदेव ने अपने जीवन काल में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक के समक्ष वाद बाबत इस्तकरारहक व तकासमा आराजीयात दिनांक 11.08.1971 को प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पारित डिक्री दिनांक 27.02.1978 द्वारा जरिये द्वारा जरिये नामांतकरण संख्या 217 दिनांक 28.03.1979 को कब्जे अनुसार खातेदादी प्राप्त की थी जो प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 के पिता सुखदेव की स्वअर्जित भूमि है जिसमें प्रार्थीया का किसी प्रकार का हक, हिस्सा व अधिकार नही है और ना ही प्रार्थीया का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त रहा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि चतुर्भुज पुत्र जैराम की दो पत्नियां थी। प्रथम पत्नी के सुखदेव व कस्तुरी व दुसरी पत्नी के कल्याण, मानी व बरजी थी । 1/2 हिस्सा सुखदेव व कस्तुरी का था व 1/2 हिस्सा दुसरी पत्नी के वारिसान का था। परन्तु सेटलमेन्ट के समय 1/2 हिस्सा केवल सुखदेव के नाम लगा दिया गया और कस्तुरी को छोड दिया गया । वर्तमान में सुखदेव की मृत्यु के बाद सुखदेव के वारिसान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है । उक्त आराजीयात पैतृक सम्पति है और वर्तमान में

हिस्सेनुसार प्रार्थीया का कब्जाकाश्त है। उक्त भूमि को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 बेचने पर आमादा है। इस कारण से वाद के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी ने सभी खातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया है। सन् 1979 में कोर्ट निर्णय से कस्तुरी के हिस्से की आराजी सुखदेव के आयी थी, विरासत से नहीं आयी है। इसलिए पैतृक सम्पति नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने रिब्टल में दोहराया कि यदि पक्षकार नहीं बनाया है तो अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 पेश कर सकता था परन्तु ऐसा नहीं किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजे भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी संम्वत 2046–65 में ख. नं. 316, 605, 606, 610, 618 सुखदेवा पुत्र चतुर्भज कोम धाकड़ व ख. नं. 615 व 619 सुखदेवा व कल्याण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2030–33 में विवादित ख. नं. 498, 499, 500, 501, 502, 512, 516, 517, 520, 521, 522 529, 530, 531, 532 का खातेदार चतुर्भज पुत्र जैरामा खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इसी तरह जमाबन्दी सम्वत 2034–37 के विवादित ख. नं. 498 से 502 व 512, 516, 517, 520 से 522 चतुर्भुज पुत्र जैरामा कोम धाकड़ के नाम खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। भू–प्रबन्ध विभाग का मिलान क्षैत्रफल के अनुसार हाल ख. नं. 605 साबिक ख. नं. 520 मिन व 521 मिन से हाल ख. नं. 606 ख. नं. 498, 499, 500, 501, 502, 512 से, हाल ख. नं. 610 साबिक ख. नं. 521 व 522 से, हाल ख. नं. 615 साबिक ख. नं. 520 से, हाल ख. नं. 618 साबिक ख. नं. 520, 529, 530, 531, 532 से बने ह. जो दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अन्य भू प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2046 के खाता संख्या 126 में कालम संख्या 4 में सुखदेवा कल्याणा पुत्र व कस्तुरी बरजी मानी पुत्रियां पारी बेवा चतुर्भुज कोम धाकड़ सा. रतनपुरा व हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अन्य जमाबन्दी सम्वत 2032–39 के खाता संख्या 214 में भी सुखदेवा कल्याणा पुत्र व कस्तुरी बरजी मानी पुत्रियां पारी बेवा चतुर्भुज कोम धाकड़ सा. रतनपुरा व हिस्सा बराबर दर्ज रिकॉर्ड है। एसीईएम के यहां प्रस्तुत वाद में भी सुखदेव ने भी उक्त भूमि को पैतृक माना है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश श्रीमान सहायक जिलाधीश का निर्णय दिनाक 27.02.1976 में वाद में कस्तुरी का नाम नहीं है। उक्त दस्तावेजो से जाहिर है कि कस्तुरी चतुर्भुज की पुत्री है। उक्त राजस्व दस्तावेजो, बहस व प्रार्थना पत्र से सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दू व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होते है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आराजी खसरा नम्बर 605 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 606 रकबा 4.64 है0, खसरा नम्बर 610 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 618 रकबा 0.35 है0 कुल किता 4 रकबा 6.11 है0 वाके ग्राम रतनपुरा तह0 देवली जिला टोंक व आराजी खसरा नम्बर 615 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 619 रकबा 0.44 है0 कुल किता 2 रकबा 0.45 बीघा वाके ग्राम रतनपुरा तह0 देवली जिला टोंक में प्रार्थीया के कब्जेकाश्त में मजामहत व बाधा नहीं करे तथा प्रार्थीया को बेदखल नहीं करे तथा उक्त वर्णित आराजी को

विक्रय पत्र अथवा किसी अन्य माध्यम से हस्तान्तरण नहीं करे। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति उभयपक्ष पक्षकारान मूल वाद तक बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद पूर्ति वाद के साथ पृष्ठ में हमफिता हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली